बीआरकेजीबी आवर्ती जमा योजना

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
(i)	योजना का नाम	**बीआरकेजीबी आवर्ती जमा योजना** **BRKGB RECURRING DEPOSIT SCHEME**
(ii)	उत्पाद/योजना	यह प्रतिमाह जमाकर्ता की क्षमता के अनुसार बचत की एक सामान्य योजना है जिसमें जमाकर्ता अपनी क्षमता व इच्छानुसार एक निश्चित अवधि में प्रतिमाह नियमित राशि जमा करता रहता है। अवधि समाप्ति पर जमाकर्ता एक मुश्त रूप से राशि व ब्याज का आहरण कर सकता है।
(iii)	लक्ष्य समूह	कोई भी निवासी भारतीय इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए पात्र है। सामान्य नौकरी पेशा/प्रतिमाह एक निश्चित राशि पाने वाले व्यक्ति/गृहणी/कृषक व व्यवसायी सहित सभी आय वर्ग के भारतीय इस योजना का लाभ उठा सकते है।
(iv)	पात्रता	अवयस्क सहित एकल व्यक्ति या संयुक्त रूप से व्यक्तियों का समूह इस योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं। एक जमाकर्ता एक से अधिक आवर्ती खाते भी खोल सकता है।
(v)	स्कीम कोड	योजना के तहत खाते स्कीम कोड़ **TD 113** में खोले जाएंगे।
(vi)	न्यूनतम जमाराशि	₹ 50/– प्रतिमाह या उसके गुणांक में अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं। किश्त की राशि खाता खोलते समय ही निश्चित की जानी चाहिए जिसे बाद में घटाया/बढ़ाया नहीं जा सकता।
(vii)	योजना अवधि	उक्त योजना में खाता न्यूनतम एक वर्ष व अधिकतम दस वर्ष की अवधि का खोला जा सकता है। किसी भी अवधि के लिए समय सीमा तीन माह के गुणक के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए जैसे 12–15–18–21–24–––120 माह। खाता खोलते समय ही योजना अवधि का उल्लेख खातेदार द्वारा कर दिया जाना चाहिए जिसमें भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जिस शाखा में खाता खोला गया है किश्त उसी शाखा में जमा करानी चाहिए।
(viii)	फोटोग्राफ	योजना के तहत खाताधारक से फोटो प्राप्त किया जाएगा। यदि पूर्व में खाताधारक का फोटो बैंक के पास बचत/चालू खाते में उपलब्ध हो तो उस खाते का उल्लेख किया जा सकता है।
(ix)	नामांकन	आवर्ती जमा खाते में नामांकन सुविधा उपलब्ध होगी।
(x)	ब्याज	1. आवर्ती जमा खातों पर ब्याज दर बैंक द्वारा समय–समय पर पूर्व निर्धारित सावधि जमाओं पर देय ब्याज दर के अनुरूप होगी। 2. वरिष्ठ नागरिकों (उम्र 60 वर्ष या अधिक) को 0.50 प्रतिशत दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा। 3. स्टाफ सदस्यों की आवर्ती जमाओं पर 1.00 प्रतिशत दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा। वरिष्ठ नागरिक स्टाफ सदस्यों को 1.50 प्रतिशत दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा। 4. खातों पर ब्याज मासिक गुणनफल के आधार पर त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर दिया जाएगा। 5 किश्तों का भुगतान : मासिक किश्त का भुगतान माह के अंतिम दिन या उससे पूर्व कर दिया जाना चाहिए। 6. किश्तों के देर से भुगतान के प्रभाव – (अ) किसी भी खाते में किश्तों के देर से भुगतान करने पर बैंक नियमानुसार दण्डात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा। (ब) यह दण्डात्मक ब्याज खाते की अवधि पूर्ण होने पर अथवा समय पूर्व खाता बंद किये जाने पर देय ब्याज में से वसूल किया जाएगा।

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
(xi)	**खाते की परिपक्वता**	खाता खोलते समय निर्धारित की गई परिपक्वता दिनांक पर अथवा अंतिम किश्त जमा करने के 30 दिन बाद, जो भी बाद में हो, खाता अदायगी के लिए परिपक्व हो जाएगा।
(xii)	**आवर्ती जमा खाते के परिपक्वता पूर्व भुगतान पर ब्याज की गणना**	ब्याज दर का निर्धारण बैंक के पास में रही जमा राशियों की अवधि पर, आवर्ती जमा खाता खोलते समय एस अवधि के लिए लागू रही प्रभावी ब्याज दर में से दण्ड स्वरूप 1 प्रतिशत कम करते हुए, शेष दर से तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर निर्धारण करना चाहिए।
(xiii)	**जमा राशियों पर ऋण**	बैंक अपने विवेकाधिकार से जमा राशि का 90 प्रतिशत ऋण स्वीकृत कर सकता है बशर्ते कि राशि ₹ 1000.00 से कम न हो। ऋणों पर ब्याज, आवधिक जमाओं के विरूद्ध ऋण हेतु बैंक में लागू ब्याज दर से देय होगा।
(xiv)	**खातों को बंद करना**	1. जिस खाते में मासिक किश्तें नियमित रूप से पिछले 4 महीनों अथवा उससे अधिक समय से जमा नहीं की गयी हो, बैंक को उस खाते को बन्द करने का अधिकार है। इस स्थिति में खाते में जमा की गयी राशि नियमानुसार ब्याज के साथ वापस की जायेगी। 2. एक मात्र जमाकर्ता या संयुक्त खाते की स्थिति में सभी जमाकर्ता सभी निर्धारित और सहमत किश्तों का भुगतान करने से पहले ही खाता बन्द करना चाहें तो जमा की गई किश्तों की राशि का नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान कर दिया जायेगा।
(xv)	**स्त्रोत पर आयकर कटौती**	आवर्ती जमा खातों पर प्रदत्त ब्याज पर आयकर नियमों के तहत स्त्रोत पर आयकर कटौती नही की जायेगी।
(xvi)	**विविध**	1. आवर्ती जमा राशियां अहस्तांतरणीय हैं। 2. जहां नकद भुगतान किया जाना हो वहां इस सम्बन्ध में बैंक में समय–समय पर लागू नियमों की पालना की जाएगी।